न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/136

राधेश्याम आत्मज श्री नरसिंह लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जमना शंकर आत्मज मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोविन्द लाल आत्मज श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रामधणी पत्नी केसरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सीमा पुत्री केसरी लाल पत्नी राजू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर हाल निवासी त्रिवेणी चौक हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. सोहन आत्मज केसरी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. दिनेश
7. महेश पिसरान श्री केसरी लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. राधेश्याम आत्मज श्री मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. घींसी बाई पुत्री मोहन लाल पत्नी हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भोमपुरा पो ब्राह्मण गॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्याम दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2727 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2787 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2794 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2806 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2810 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार भंवर लाल, मोहनलाल, हीरालाल, केसरीलाल, राधेश्याम पिसरान नरसिंह लाल कौम ब्राह्मण दर्ज थे । ग्राम ढाकणी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1356 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1430 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा कुल 02 किता रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि भंवरलाल, मोहनलाल, हीरालाल, केसरीलाल, राधेश्याम पिसरान नरसिंह लाल के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में वादीगण के पिता व प्रतिवादी क्रम 7 व 8 के पिता मोहन लाल का 1/5 हिस्सा दर्ज था । सहखातेदार भंवर लाल, हीरालाल लाऔलाद फौत हो जाने से उनके हिस्से की भूमि वादीगण के पिता को प्राप्त हुई और उनका हिस्सा 1/3 हुआ । प्रतिवादीगण ने मृतक मोहनलाल के हिस्से की भूमि 1/5 तथा मृतक भाई भंवर लाल व हीरा लाल के हिस्से में से मोहन लाल को प्राप्त भूमि 1/3 में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को मोहन लाल की भूमि में से मिलने वाले की भूमि की एवज में 02 लाख रूपये प्राप्त कर लिये थे । अब प्रतिवादी क्रम 7 व 8 को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । वादीगण के पिता ने वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में निहित उनके हिस्से 8/15 का एक वसीयतनामा उनके जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में दिनांक 14.12.2009 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर रूबरू गवाहन निष्पादित कर दी । उक्त वसीयत पर कोई सुनवाई किये बिना तथा वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 7 व 8 के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर प्रतिवादीगण क्रम 7 व 8 वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि दोनों ग्रामों की आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी क्रम 7 व 8 का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा मोहन लाल के सम्पूर्ण हिस्से 8/15 का वादीगण को बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि को रहन, बेचान व भारग्रस्त नहीं करे तथा उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे । वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 6 के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा मोहन लाल जी का सम्पूर्ण हिस्सा 8/15 वादीगण के हिस्से व खाते में रखा जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 26.06.2015 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि

लोक अदालत में सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो पाई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.01.2016 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया और अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिववक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण के द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली लोक अदालत में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की है, तनकीयात कायम नहीं की गई है और न ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की सूचना समस्त पक्षकारान को दी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की तलबी हो चुकी थी, इनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है जबकि तलबी सन् 2010 में ही हो चुकी है । लोक अदालत की सूचना भी समस्त पक्षकारान को दी गई थी । लोक अदालत में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी कम 3 की तलबी में लम्बित चल रही थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा